कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1415085 दि० 21/10/2014

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर-(2014-15) 596 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // अक्टूबर, 21 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(कारपोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- Online कर निर्धारण हेतु Offline Tool की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15/245/ वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415040) दिनॉक 30-06-2014 द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा अस्थायी कर निर्धारण कार्य के सम्बन्ध में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत धारा-28(2)(i) तथा धारा-28(2)(ii) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश, धारा-25(i) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण आदेश, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-9(2) के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश, धारा-9(2) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण आदेश तथा उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 की धारा-9(4) के अन्तर्गत अन्तिम कर निर्धारण आदेश एवं धारा-10(1) के अन्तर्गत अस्थायी कर निर्धारण की कार्यवाही आदेश दिनॉक 01-08-2014 से आनलाइन ही जारी की जाये तथा पत्र संख्या-आई0टी0-NIC साफ्टवेयर/2014-15 / 322 / वाणिज्य कर (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415051) दिनॉक 22-07-2014 द्वारा इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न समीक्षा बैठकों में यह अनुरोध किया गया कि यदि इस सम्बन्ध में Offline Tool की सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो Online कर निर्धारण के कार्य में और अधिक गतिशीलता आयेगी। अत: इस सम्बन्ध में सुविधा के दृष्टिकोण से Offline Tool का विकास किया गया है जिसके प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अवधारित की जाती है :-

1- सेक्टर स्टेनो / कर निर्धारण अधिकारी द्वारा VYAS Central Software में RC & Assessment menu के dropdown menu में Register-R5 option के Generate Notice/Order में Offline Tool for Orders में सुसंगत आदेश का Offline Format डाउन लोड किया जायेगा।

2- इसके पश्चात Offline Tool में समस्त प्रविष्टियों में पूर्ण किया जायेगा। जहॉ पर सारिणी (Table) में सूचना (DATA) अंकित किया जाना है वहॉ पर लाइन (Row) के अन्त में TAB Key के माध्यम से नई लाइन (Row) जोड़ी जा सकती है।

3- समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करके Word File को Save किया जायेगा। यह आवश्यक है कि File का नाम सम्बन्धित आदेश के **पूर्व की भॉति Online Generate R-5A नम्बर** के नाम पर ही अनिवार्य रुप से Save किया जाय। **उदाहरणार्थ** -यदि किसी वाद का R-5A No.1445CCLK100005 है तो अपलोड की जाने वाली File का नाम Save करते समय 1445CCLK100005.doc या 1445CCLK100005.docx होगा।